संoसंo–9/आ0–03–01/2019(स्वाo).....
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

डॉ0 सत्येन्द्र कुमार सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केवटसा, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–1621 दिनांक–22.08.2002 द्वारा बाढ राहत कार्य मे निर्धारित कर्त्तव्य पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित किया गया। डॉ0 सिन्हा के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0–710(2) दिनांक–04.04.2003 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। डा0 सिन्हा के विरूद्ध दिनांक–18.07.2002 को योगदान कर बाढ राहत के कार्य पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में पुनः नये सिरे से विभागीय संकल्प स0–704(9) दिनांक–06.07.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के समक्ष बचाव अभिकथन प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप आरोप को प्रमाणित होने का मतव्य दिया गया।

2. विभागीय पत्रांक–252(9) दिनांक–05.02.2019 के द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा की मॉग की गयी। उन्हे दिनाक–08.12.2020 को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी प्रत्युत्तर समर्पित करने का अवसर दिया गया, परन्तु उनका प्रत्युत्तर अप्राप्त रहा। फलतः डा0 सिन्हा के विरूद्ध विभागीय सकल्प सं0–137(9) दिनांक–23.01.2023 द्वारा सरकारी सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की गयी।

3. डॉ0 सिन्हा द्वारा प्रस्तुत किए अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वे नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना से प्राध्यापक के पद से दिनांक–31.12.2023 को सेवानिवृत्त हुए हैं। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वे बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग से बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा मे अन्तर्निहित हो गए। डा0 सिन्हा द्वारा बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अवधि में सस्थित विभागीय कार्यवाही पर कभी भी प्रतिकार नहीं किया गया।

4. फलतः डा0 सत्येन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केवटसा, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0–137(9) दिनांक–23.01.2023 द्वारा अधिरोपित एवं संसूचित सरकारी सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति को निरस्त करते हुए, बर्खास्तगी की तिथि से सेवा में पुनर्स्थापित करने, उनके अनुपस्थिति अवधि हेतु कार्य नही तो वेतन नहीं के साथ किसी भी प्रयोजन हेतु इस अवधि की गणना नहीं करने का विनिश्चय किया गया है।

5 उपर्युक्त प्रस्ताव पर दिनांक–25.04.2025 को आहूत मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संo–20 द्वारा स्वीकृति प्राप्त है।

6. अतः डा0 सत्येन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केवटसा, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त, प्राध्यापक, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, पटना के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0–137(9) दिनांक–23.01.2023 द्वारा अधिरोपित एवं संसूचित सरकारी सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति को निरस्त करते हुए, बर्खास्तगी की तिथि से सेवा में पुनर्स्थापित किया जाता है। डा0

28/04/2025

20

सिन्हा के अनुपस्थिति अवधि हेतु कार्य नही तो वेतन नहीं एवं किसी भी प्रयोजन हेतु इस अवधि की गणना नहीं करने का विनिश्चय संसूचित की जाती है।

आदेशः—संकल्प की प्रति डा0 सत्येन्द्र कुमार सिन्हा एव सभी सबधितो को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः—9/आ0—03—01/2019(स्वा0) 405(9)/ **पटना, दिनांकः** 28.4.25

प्रतिलिपिः—महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—प्राचार्य/अधीक्षक, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, पटना /क्षेत्रीय अपर—निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—डा0 सत्येन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केवटसा, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त प्राध्यापक, नालदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना पत्राचार का पता—जे—3, पीपुल्स कॉपरेटिव, कंकडबाग कॉलोनी, पटना—800020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—माननीय स्वास्थ्य मत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, शेखपुरा, पटना /निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—2,3,5,7,8,10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट मे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—Departmental PMU Lead को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/04/2025
सरकार के अवर सचिव।